(265)

न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर ,कैम्प,सागर म.प्र.

निग -2090-I-16

किशोरी कुशवाहा पिता दल्लु कुशवाहा,

निवासी खजुराहो तह० राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

... पुनरीक्षणकर्ता

।।बनाम।।

म.प्र. शासन

... उत्तरदाता

B.O.R. 27/6/16

2 JUN 2016

50
21/06/2016

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता की निम्न प्रार्थना है:-

1- यहकि, पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के द्वारा अपील क्र. 2863/6 वर्ष 2014-15 में अपील निरस्ती आदेश दिनांक 25.04.2016 से परिवेदित होकर समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।

// पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नं. 31 खजुराहो रा.नि.मं. राजनगर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को ग्राम ललगुवां स्थित भूमि खसरा नं. 488/2 रकवा 0.526 हे० तथा ख.नं. 485 रकवा 0.340 हे० किता दो रकवा 0.866 हे० भूमि में मकान बगीचा लगाकर अतिक्रमण करने बावत प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय राजनगर के समक्ष पेश किया, उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार राजनगर ने मात्र प्रतिवेदन एवं पटवारी के एकतरफा कथन के आधार पर अतिक्रमण रिपोर्ट प्रमाणित मानकर अतिक्रमण भूमि से बेदखली बावत आदेश पारित कर दिया, उक्त आदेश से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र०क्र० 8/अपील/वर्ष 2014-15 पर दर्ज की गई तथा जिसे दिनांक 06.01.2015 के आदेश से निरस्त कर दिया है, उक्त अपील निरस्त से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने द्वितीय अपील अपर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2090-I/16 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.16	प्रकरण में [illegible] पुकार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	
R [illegible]		

[कृ. प. उ.